appellant under Section 25-B (8) of the Delhi Rent Control Act, 1958 for revision of the order of the Rent Controller, Delhi, dated February 14, 1992 rejecting his application for recovery of possession of his tenanted premises made on the ground specified in Section 14-C(i) of the Act. This judgement was set aside by the Supreme Court. The Supreme Court held that an application for eviction under Section 14-B, 14-C or 14-D cannot be rejected on the mere ground that the landlord has some accommodation available, and sufficiency thereof cannot be gone into in a petition for evictions under these sections. The Court has directed the Rent Controller to dispose of the application filed by the applicant in accordance with law and in the light of the observations of the Court.

(c) The Delhi Rent Bill is under consideration of the Government and is expected to be introduced shortly.

Mortgage Finance Scheme

4374. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering any scheme to extend mortgage finance for building houses to the public;

(b) if so, the details of this scheme;

(c) by what time schedule will this scheme by grounded;

(d) whether Government will consider starting this scheme in Andhra Pradesh; and

(e) whether it is a fact that Andhra Pradesh has sufficient conditions to implement this 'scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (e) Housing Finance Institutions throughout the country already provide loans to borrowers against mortgage of plots/structures thereon as security for repayment of loan.

Guidelines for Commercial Utilisation of Government Land

4375. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Railways have urged the Ministry of Urban Development to formulate general guidelines to facilitate commercial utilisation of the Government owned land;

(b) if so, whether the Railways are second largest owner of land among the various Ministries;

(c) if so, whether the Ministry of Urban Development has earmarked the land for Railways to set up hotels on these lands; and

(d) if so, by when the Ministry of Urban Development is likely to take a final decision in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) As per information made available by Ministry of Railways, they own about 4.19 lakh hectare of land.

(c) No, Sir.

(d) No final decision on general issue regarding commercial exploitation of surplus Govt, land for augmenting budgets provisions has been taken.

पुरानी कालोनियों में सिंक, टाईल, पैलमैट और नई बिजली की वायरिंग लगाया जाना

4376. श्री रामजी लाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की विभिन्न पुरानी कालोनियों (आजादी से पूर्व निर्मित) में सिंक, टाइल, बिजली की नयी वायरिंग, पैलमैट लगाने के आदेश कुछ ही महीने पूर्व जारी किये हैं, यदि हां, तो अब तक कितने सरकारी क्वार्टरों में ये सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार सरकारी कालोनियों, विशेषकर लोधी कालोनी के ब्लाक 15 एवं 20 में ये सुविधायें प्रदान करने तथा आस-पड़ोस में फैली हुई गन्दगी को हटाने के साथ-साथ पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या गंदगी के कारण वहां बीमार पड़ने वाले निवासियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई कार्यवाही करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी नहीं, हाल ही में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे स्टेशनों के आस-पास झुग्गी-झोपड़ियां

4377. श्री रामजी लाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आस-पास बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियां होने के कारण भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी संभ्रांत नागरिक भारत की राजधानी शहर दिल्ली को एक अनियोजित शहर मानते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शहर की सुन्दरता बनाये रखने के लिए इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को लघु आवास इकाइयां उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार जनवरी, 1990 में दिल्ली में 929 झुग्गी-झोपड़ी समूह थे जिन में 2.60 लाख झुग्गियां थीं। प्राथमिकता वाले स्थलों पर पहचाने गए वे झुग्गी-झोंपड़ी समूह जो जनवरी, 1990 में दिल्ली में विद्यमान थे को स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुसार भू-स्वामित्व एजेंसियों के अनुरोध पर वैकल्पिक स्थलों पर पुन: बसाया जाना है। जनवरी, 1990 के बाद सरकारी भूमि पर बनी झुग्गियों को भू-स्वामित्व एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है। इस तरह के मामलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है।

सहकारी आवास समितियों द्वारा जमा करायी गयी धनराशि की वापसी

4378. श्री राम जेठमलानी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहकारी आवास समितियों को, जिन्होंने द्वारका परियोजना में आवास हेतु राशि जमा करायी थी किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन की कीमतों में वृद्धि कर देने के कारण अपनी जमा राशि वापिस कर देने का अनुरोध किया था, जमा राशि वापिस कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके द्वारा जुलाई 1994 तक जमा करायी गयी धनराशि अभी तक वापिस नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई समितियों को सिर्फ 50 प्रतिशत जमा राशि ही वापिस की गई है;

(घ) यदि हां, तो कम धनराशि वापिस करने के क्या कारण हैं तथा समितियों को उनकी पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त न करने का निर्णय प्राधिकरण के किस स्तर पर लिया गया था तथा उन अधिकारियों के नाम क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि समितियों ने धनराशि एकमुश्त जमा करायी थी; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उनकी जमाराशि वापिस करने में विलम्ब होने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुछ समितियों, जिन्हें 1992-93 और 1993-94 के लिये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से पूर्व की दरों पर भूमि की पेशकश की गई थी, ने 1990-91 की पूर्व पेशकश और/अथवा अक्टूबर/नवम्बर, 1992-93 के बाद की गई पेशकश के प्रत्युत्तर में जमा राशि वापस लौटाने की मांग की है और उनमें से अनेक को राशि वापस दे दी गई है।

(ख) ऐसी समितियों के नाम विवरण में हैं (नीचे देखिए)।

(ग) और (च) 4 समितियों के मामले में 50% राशि वापस की गई थी। शेष राशि वापस करने हेतु इन मामलों पर कार्यवाही चल रही है।

(ङ) नजूल भूमि नियमावली, 1981 के नियम 24 के अनुसार सामूहिक आवास समितियों के लिये भूखण्ड हेतु भूमि कीमत की मांग किस्तों में की जाती है।

(च) राशि वापस करना एक सतत प्रक्रिया है और भुगतान सत्यापन होने के बाद ही किया जाता है।

विवरण

उन सोसाएटियों की सूची जिन्हें उनके द्वारा जुलाई, 1994 तक जमा कराई गई धनराशि अभी तक नहीं लौटाई गई है:-

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन नं.	समिति का नाम
1	2	3
1.	873	पुरवल वैश्य सी जी एच एस
2.	877	श्री श्याम सी जी एच एस
3.	913	नव सिद्धार्थ सी जी एच एस
4.	918	परम आशिवाद सी जी एच एस
5.	951ए	क्रिसेंट सी जी एच एस
6.	979	परियोजना सी जी एच एस
7.	982	गुजराज विकास सी जी एच एस